वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम. लि., जयपुर द्वारा परसा ओपन काष्ट कोल माईन्स परियोजना हेतु कुल वन भूमि 841.538 हे. (सरगुजा वन मंडल अंतर्गत आवेदित वन भूमि 614.219 हे. एवं सूरजपुर वन मंडल अंतर्गत आवेदित वन भूमि रकबा 227.319 हे.) की मांग कोयला उत्खनन हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। वन मंडलवार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–

परियोजना का नाम	वन मंडल का नाम	राजस्व वन भूमि रकबा (हे.)	आरक्षित वन भूमि रकबा (हे.)	संरक्षित वन भूमि रकबा (हे.)	कुल वन भूमि रकबा (हे.)
परसा ओपन काष्ट कोल माईन्स परियोजना	सरगुजा	243.764	-	370.455	614.219
	सूरजपुर	41.770	137.231	48.318	227.319
	कुल योगः–	**285.534**	**137.231**	**418.773**	**841.538**

उपरोक्त दर्शाये अनुसार कोयला उत्खनन हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देश अनुसार निम्न शर्तो के साथ स्वीकृति की अनुशंसा की जाती हैः–

i) खदान के कर्मचारियों एवं मजदूरों हेतु आवेदक एजेंसी द्वारा पाईप के माध्यम से गैस सप्लाई की जाये ताकि जलाऊ हेतु वनों पर दबाव न पड़े।

ii) इस खदान में कार्य करने वाले कर्मचारियों हेतु आवासीय भवन का निर्माण सुनिश्चित किया जाये ताकि अस्थाई निर्माण हेतु वनों पर दबाव न पड़े।

iii) सेफ्टी जोन क्षेत्र में 6 फीट ऊंची रिकायल बारबेड वायर फैसिंग की जानी होगी जिससे वन क्षेत्र की सुरक्षा हो सके।

दिनांकः 16/04/2018
स्थानः नया रायपुर

(आर. के. सिंह)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़